



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-618/२४८७

रायपुर, दिनांक ०३/०८/२०१८

प्रति,

अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नया रायपुर

विषय: — Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Widening and Upgrading to 2 Lane of NH 163 (old NH 202) from Bhopalpatnam - Taralaguda section in State of Chhattisgarh under LWE scheme, area- 104.887 ha.

— पंजीयन क्रमांक FP/ CG/ ROAD / 19527 / 2016

संदर्भ:— छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-70/2017 / 10-2 दिनांक 27.07.2018
= 0 =

संदर्भ पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त हुआ है जो निम्नानुसार है:
“प्रस्ताव में दंड की राशि लोक निर्माण विभाग से वन विभाग को दी जानी है। अतः यह मत दिया जाता है कि दण्ड की राशि जमा कर Forest Clearance की अनुमति प्राप्त की जावे”।

उक्त अनुक्रम में लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवेदक संस्थान लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त दण्ड की राशि भारत सरकार के कैम्पा खाते में आनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा करनी होगी जिसके लिए आवश्यक चालान प्रथम चरण की स्वीकृति के उपरांत ही जनरेट होगा।

अतः वित्त विभाग से प्राप्त अभिमत के अनुसार शर्त को समावेशित करते हुए प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति जारी किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध है।

(एस. एस. बजीजी)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व.स.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-618/२४८६

रायपुर, दिनांक ०३/०८/२०१८

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़
3. वन मंडलाधिकारी, बीजापुर वन मंडल, बीजापुर, छत्तीसगढ़।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व.स.अ)

छत्तीसगढ़